<u>Bill No. 7 of 2013</u>

THE UNIVERSITY OF RAJASTHAN (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the University of Rajasthan Act, 1946.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the University of Rajasthan (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 16^{th} January, 2013.

2. Amendment of section 9, University of Rajasthan Act, 1946.- In the existing section 9 of the University of Rajasthan Act, 1946, hereinafter referred to as the principal Act, after the clause (iii) and before the clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iiia) The Comptroller,".

3. Amendment of section 10, University of Rajasthan Act, 1946.- For the existing section 10 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**10. The Chancellor.**- (1) The Governor of Rajasthan shall be the Chancellor of the University and shall, by virtue of his or her office, be the Head of the University.

(2) The Chancellor shall, when present, preside at the Convocations of the University.

(3) The Chancellor shall, by virtue of his or her office, be the Chairman of the Senate and as such shall, when present, preside at the meetings thereof.

(4) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct-

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any college, institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(5) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(6) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(7) The Chancellor, shall communicate to the Vice-Chancellor his or her views with reference to the results of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor place the same before the Syndicate for communicating the views of the University, within the time fixed by the Chancellor.

(8) After ascertaining the opinion of the University thereon, the Chancellor shall advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(9) The University, through the Syndicate, within the time limit fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(10) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University

is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(11) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (10) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

(12) Confirmation of the making, repeal or alteration of Statutes rests with the Chancellor.

(13) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him or her by this Act or the Statutes.".

4. Amendment of section 12, University of Rajasthan Act, 1946.- For the existing section 12 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**12. Vice-Chancellor.**- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of -

(a) one person nominated by the Syndicate not connected with the University or any college thereof;

(b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

5. Insertion of new sections, University of Rajasthan Act, 1946.- After the existing section 35 and before the existing section 36 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**35-A. Accounts and audit.**- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Syndicate for approval and the Syndicate may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Syndicate which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.

35-B. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

(a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;

(b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;

(c) grant of any additional or special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or

other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

(d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;

(e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;

(f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and

(g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

35-C. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.".

6. Repeal and savings.- (1) The University of Rajasthan (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 5 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the Universities and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which Universities can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it has been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, other service conditions of Vice-Chancellor, accounts and audit, control of the State Government regarding State Government funds and assumption of financial control by the State Government as emergency measure in the University of Rajasthan Act, 1946.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the University of Rajasthan (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 5 of 2013), on 16th January, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 17th January, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4 and 5 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 12(3) and the date before which annual financial estimates for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 35-A (2) respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

डॉ. दयाराम परमार,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE UNIVERISTY OF RAJASTHAN ACT, 1946

XX XX XX XX XX XX

9. Officer of the University.- The following shall be the Officer of the University:-

(i) The Chancellor,
(ii) The Vice-Chancellor,
(iia) The Pro-Vice-Chancellor,
(iii) The Registrar,
(iv) The Dean of the Faculties,
(v) The University Librarian, and
(vi) Such other persons in the service of the University as may be declared by Statutes to be the Officers of the University.

10. The Chancellor.- (1) The Governor of Rajasthan shall be the Chancellor of the University and shall, by virtue of his office, be the Head of the University.

(2) The Chancellor, shall, when present, preside at the Convocations of the University.

(2A) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Chairman of the Senate and as such shall, when present, preside at the meetings thereof.

(3) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings and equipment and any institution associated with it, and of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with University. The Chancellor shall in every case give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to be represented thereat.

(4) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the results of such inspection or inquiry and the Vice-

Chancellor shall communicate to the Syndicate the views of the Chancellor, and advise the Syndicate upon the action to be taken.

(5) The Syndicate shall report to the Vice-Chancellor for communication to the Chancellor, such action, if any, as it is proposed to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.

(6) Confirmation of the making, repeal or alteration of Statutes rests with the Chancellor.

(7) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes.

XX XX XX XX XX XX

12. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid Officer of the University and shall be appointed by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely:-

(i) a person nominated by the Syndicate not connected with the University or any affiliated college or approved institution,

(ii) a person nominated by the Chairman, University Grants Commission, and

(iii) an educationist nominated by the Chancellor,

and the Chancellor shall appoint one of these three persons as the Chairman of the Committee.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes, and shall not be varied to his disadvantage after his appointment:

Provided that the present Vice-Chancellor shall continue to be governed by the existing terms and conditions till his present term is over.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years and will be eligible for re-appointment for a second term and such re-appointment shall be made upon the

recommendation of the Selection Committee referred to in sub-section (1):

Provided that no person shall hold the office of the Vice-Chancellor for more than two terms.

(4) The Vice-Chancellor may, at any time, relinquish office by submitting, not less than 60 days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(5) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(6) When a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave or any other cause not being the expiry of term of the incumbent, such vacancy shall be filled, as far as may be, in accordance with the provision of sub-section (7).

(7) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, illness or otherwise, the Pro-Vice-Chancellor shall carry on the office of the Vice-Chancellor. Where, however, there is no Pro-Vice-Chancellor or he is also temporarily absent, the Syndicate shall forthwith report the same to the Chancellor who shall make such arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as he may deem fit.

(8) The term of the office of the Vice-Chancellor shall commence with effect from the date of the joining the duties of his office.

XX XX XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2013 का विधेयक संख्या 7

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 16 जनवरी, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 की धारा 9 का संशोधन.- राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946, जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 9 में, खण्ड (iii) के पश्चात् और (iv) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iiiक) नियंत्रक,"।

3. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा/होगी और वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा/होगी।

(2) कुलाधिपति, जब वह उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त सामारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर सिनेट का अध्यक्ष होगा/होगी और जब वह उपस्थित हो, तब इस हैसियत से उसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(5) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(6) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(7) कुलाधिपति, कुलपति को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और कुलपति उन्हें, कुलाधिपति द्वारा नियत समय के भीतर-भीतर, विश्वविद्यालय के विचारों से संसूचित करने के लिए, सिंडिकेट के समक्ष रखेगा।

(8) कुलाधिपति, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(9) कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय, नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, सिंडिकेट के माध्यम से कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(10) यदि विश्वविद्यालय नियत की गई समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(11) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (10) के अनुसार जारी किये गये निदेशों का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेशों का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसे आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हों।

(12) परिनियमों को बनाने, निरसित करने या उनमें परिवर्तन करने के लिए उनकी पुष्टि करना कुलाधिपति पर निर्भर करेगा।

(13) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जायें।"।

4. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 की धारा 12 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"12. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

(क) सिंडिकेट द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(2) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(3) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (5) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (4) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(7) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(8) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में

अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(9) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(10) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(11) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी;

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

5. राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 में नयी धाराओं का अन्त: स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 35 के पश्चात् और विद्यमान धारा 36 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"35-क. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन सिंडिकेट के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और सिंडिकेट इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगी जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा सिंडिकेट को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

35-ख. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

35-ग. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।"।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदाकदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर हैं।

अत:, विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 की कुछ धाराओं को संशोधित करने का और कुछ नये उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया है अर्थात्, कुलाधिपति की निरीक्षण की शक्तियां, कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, कुलपति की अन्य सेवा-शर्तें, लेखे और संपरीक्षा, राज्य सरकार की निधियों के संबंध में राज्य सरकार का नियंत्रण और आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियन्त्रण की धारणा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 16 जनवरी, 2013 को राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.5) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 17 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4 और 5, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, क्रमश: प्रस्तावित धारा 12(3) के अधीन कुलपति की अन्य परिलब्धियां, और प्रस्तावित धारा 35-क(2) के अधीन ऐसी तारीख जिससे पूर्व, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(i) कुलाधिपति,

(ii) कुलपति,

(ii-क) प्रत्युपकुलपति,

(iii) कुलसचिव,

(iv) संकायों के शाखाध्यक्ष, और

(v) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, तथा

(vi) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे। वे अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की कुलाधिपति अध्यक्षता करेंगे, जब वे उपस्थित हों।

(2क) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर सिनेट के अध्यक्ष होंगे और इस हैसियत से वहां बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जब वे उपस्थित हों।

(3) कुलाधिपति को, विश्वविद्यालय, उसके भवनों और उपस्कर का तथा इससे संबद्ध किसी संस्था का, और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षाओं, अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, निरीक्षण करवाने का और विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी प्रकार की जांच करवाने का अधिकार होगा। कुलाधिपति, निरीक्षण या जांच करवाने हेतु अपने आशय का प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और विश्वविद्यालय उसमें अपना प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम से कुलपति को लिखित में अवगत करा सकेगा और कुलपति सिंडिकेट को

कुलाधिपति के विषयों से संसूचित करेगा और इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को सलाह दे सकेगा।

(5) सिंडिकेट, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों पर की जाने की प्रस्थापना करती है या की गई है, कुलाधिपति को संसूचित करने के लिये कुलपति को रिपोर्ट करेगी।

(6) परिनियमों को बनाने, निरसित करने या परिवर्तन करने के लिये उनकी पुष्टी करना कुलाधिपति पर निर्भर करता है।

(7) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जायें।

XX XX XX XX XX XX

12. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और एक चयन समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) सिंडिकेट द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध महाविद्यालय या अनुमोदित संस्था से संबंधित न हो,

(ii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और

(iii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद्,

और कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा:

(2) कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनमें ऐसे कोई परिवर्तन नहीं किये जायेंगे जो उसके हित में न हों:

परन्तु वर्तमान कुलपति विद्यमान निबन्धनों तथा शर्तों से तब तक शासित होगा, जब तक कि उसकी वर्तमान अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और दूसरी अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा और ऐसी पुनर्नियुक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर की जायेगी:

परन्तु कोई व्यक्ति दो अवधियों से अधिक के लिए कुलपति का पद धारण नहीं करेगा।

(4) कुलपति, जिस तारीख को अपने पद से मुक्त होना चाहे उससे कम से कम 60 दिन पहले कुलाधिपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करके, किसी भी समय अपना पद छोड़ सकेगा।

(5) ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा अवधारित तारीख से प्रभावशील होगा और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाएगी।

(6) जब अवकाश के कारण अथवा किसी अन्य कारण से, कुलपति का पद रिक्त हो जाय अथवा उसके रिक्त होने की संभावना हो, जो पदधारी की अवधि के समाप्त होने से न हो, तो ऐसी रिक्ति, यथाशक्य, उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसार भरी जायेगी।

(7) जब कुलपति का पद अवकाश, बीमारी के कारण या अन्यथा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाए तो प्रत्युपकुलपति, कुलपति के पद का कार्य करेगा। तथापि जब प्रत्युपकुलपति न हो या वह भी अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो सिंडिकेट उसकी सूचना कुलाधिपति को तुरन्त देगी जो कुलपति का कार्य चलाने के लिये ऐसा इन्तजाम करेगा जो वह ठीक समझे।

(8) कुलपति की पदावधि का प्रारम्भ उसके पद ग्रहण करने की तारीख से होगा।

XX XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं.7

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,

विशेषाधिकारी।

(डॉ, दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

<u>Bill No. 7 of 2013</u>

THE UNIVERSITY OF RAJASTHAN (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the University of Rajasthan Act, 1946.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)